

Amaz Uola (HINDI) Date 19/03/2026, Page No-12

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 की विनीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रवर्तन के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता विशेष रूप से ऋणकर्ता(ओं), रهنकर्ताओं एवं गारंटर(ओं) को एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति ऋणदाता को रहन/गिरवी/प्रभारित निम्न वर्णित चल/अचल संपत्तियों का निर्माणत्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा जोकि, बैंक/प्रतिभूति ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है को सम्बन्धित ऋणकर्ताओं व गारंटरों से बैंक/प्रतिभूति ऋणदाता को देय इसकी बकाया राशि की वसूली हेतु निम्न तालिका में निर्दिष्ट अनुसार तिथियों पर "जैसे है जहां है" "जैसे है जो है" एवं "जो कुछ भी वहां है" के आधार पर बेचा जाएगा। आश्रित कीमत एवं जमा धरोहर राशि संबंधित संपत्तियों के प्रति निम्न तालिका में निर्दिष्टानुसार होगी।

क्रम सं.	शाखा का नाम	अचल रहन रखी संपत्ति/यों का ब्यौरा एवं स्वामी (यों) / रहनकर्ता का नाम	ए) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना की तिथि बी) बकाया राशि सी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि डी) सांकेतिक/भौतिक/निर्माणत्मक कब्जे की प्रकृति	आरक्षित कीमत जमा धरोहर राशि (ईएमपी) संवृद्धि वाली राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
	खाते का नाम				
	ऋणकर्ता/गारंटरो का नाम एवं पता				
1.	शाखा : (एआरएमबी, चंडीगढ़) ऋणकर्ता: श्री अजय जैन पुत्र श्री नेमी चंद म. सं. 922, सैक्टर-29, अल्फा सिटी, करनाल - 132001 गारंटर : श्रीमती मीनाक्षी सिंगला श्री अमित सिंगला, बाई सं.1, इन्ट्री जिला करनाल - 132041	वाणिज्यिक दुकान संख्या 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 का वह पूरा हिस्सा जिसका माप लगभग 18 मरला है, यानी 2K-7M माप वाली भूमि का 2729/7050 हिस्सा जो खेबट संख्या 168, खतीनी संख्या 171, रेक्ट संख्या 36, किला संख्या 4/1[0-13], 4/3[1-13], 5/1[0-1], किला 3 से संबंधित है, जो मुख्य करनाल-इंद्री रोड, गांव गुढा,	ए) 19.11.2022. बी) 91,46,768.00 रु. (इकानवे लाख छियालिस हजार सात सौ अड़सठ रुपये केवल) के साथ 01.10.2022 से भावी ब्याज एवं प्रभार(-) यदि कोई वसूली हे तो, पूर्ण भुगतान तक। सी) 02.02.2023 डी) भौतिक कब्जा	Rs. 93,11,400/- Rs. 9,31,140/- Rs. 50,000/-	13.04.2026 पूर्वा: 11.00 बजे से अप. 04.00 बजे
तहसील इंद्री, करनाल में स्थित है। बिक्री विलेख संख्या 2865/1 दिनांक 18.03.2020 के अनुसार श्रीमती मीनाक्षी सिंगला पत्नी अमित सिंगला से संबंधित है और उप रजिस्ट्रार, इंद्री के कार्यालय में पंजीकृत है। और वर्ष 2021-2022 के लिए जमाबंदी गांव गुढा के म्यूटेशन संख्या 2415, 2418, 2472 के साथ पढ़ी गई है। नोट : जिला टाऊन प्लानर, करनाल द्वारा दिनांक 17.06.2020 को श्रीमती मीनाक्षी सिंगला पत्नी श्री अमित सिंगला को जारी कारण बताओ नोटिस के अनुसार कंट्रोल्ड क्षेत्र इन्ट्री करनाल में दुकानों का निर्माण अनाधिकृत है। ऋणभारों का विवरण : बैंक को ज्ञात नहीं					
नोट : संपर्क : व्यक्ति : पंजाब नेशनल बैंक, प्राधिकृत अधिकारी : श्री जगदीश लाल, मो. : 7527842020, एआरएमबी चंडीगढ़, खाते का विवरण जिसमें आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा ईएमपी के बाद शेष राशि जमा कराई जाएगी : पंजाब नेशनल बैंक, एआरएमबी चंडीगढ़, खाता सं. 8214003171118A, आईएफएससी कोड : PUNB0821400.					
ई-नीलामी बिक्री की नियम एवं शर्तें :- बिक्री निम्न अतिरिक्त शर्तों एवं प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के विषय में होगी:- (1) सम्पत्ति की बिक्री "जैसे है जहां है आधार" "जैसे है जो है आधार" एवं "जो कुछ भी है जहां है आधार" पर की जाएगी। (2) उपरोक्त निर्दिष्ट अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी अनुसार निर्दिष्ट किया गया है, परन्तु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत कथन या विलोपन हेतु जिम्मेवार नहीं होगा। (3) नीलामी बिक्री को ई-ऑक्शन पोर्टल https://baanknet.com के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। (4) बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु कृपया https://baanknet.com एवं www.pnb.bank.in पर जाएं। (5) खरीददार घोषित किये गये व्यक्ति को इस प्रकार की घोषणा के बाद तुरंत "प्राधिकृत अधिकारी" के पास खरीद राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि को जमा करवाना होगा यह राशि जमान करवा पाने पर, सम्पत्ति को पुनः नीलामी के लिए रखा जायेगा व पुनः बेचा जायेगा।					
सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 15 दिनों का वैधानिक नोटिस					
ऋणकर्ताओं/गारंटरो को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तिथि से पहले उपरोक्त निर्दिष्ट राशि के साथ-साथ अद्यतन तिथि तक ब्याज एवं अनुषांगिक खर्चों का भुगतान कर दें, अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी एवं शेष देय राशि की वसूली लागत एवं ब्याज सहित की जायेगी।					
दिनांक : 17.03.2026		स्थान : चंडीगढ़		प्राधिकृत अधिकारी	